प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.05.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया सुमन चौधरी निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त रोशन द्वारा जान से मारने की नीयत से वादिया के पुत्र रूप चौधरी के पेट में चाकू से वार कर घायल कर देना व अभियुक्तगण पवन, संजय व रोशन की माता द्वारा गाली-गलौज व मारपीट करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/115(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोशन उर्फ अभिषेक पुत्र संजय राय निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त नाजायज चाकू बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चार पहिया वाहन चलाता हूँ। मेरा रूप चौधरी के साथ रूपये के लेन-देन को लेकर विवाद था। दिनांक 26.05.2026 को रूप चौधरी मेरे घर पर आया तथा मुझसे अपने रूपये मांगने लगा, मैंने मना किया तो उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया, जिस कारण मुझे गुस्सा आ गया तथा मैंने चाकू से रूप चौधरी के पेट पर वार कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रोशन उर्फ अभिषेक पुत्र संजय राय निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 नाजायज चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 27.05.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का 01 आईफोन मोबाइल चोरी ले जाना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर आदि की सहायता से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राजन उर्फ भीमा पुत्र लीलू निवासी ग्राम अबुपर थाना निवाड़ी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 28.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त राजन उर्फ भीमा पुत्र लीलू निवासी ग्राम अबुपर थाना निवाड़ी गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल आईफोन बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा- 317 (2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोबाइल फोन कुछ दिन पहले गंग नहर घाट से कपड़ों के साथ चुराया था, कपड़ों को मैंने गंग नहर में फेंक दिया और फोन लेकर चला गया था जिसको मैं बेचने के लिए जा रहा था कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजन उर्फ भीमा पुत्र लीलू निवासी ग्राम अबुपर थाना निवाड़ी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

चोरी का 01 मोबाइल आईफोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री अभिजीत आर0 शंकर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गिर्राज सिह भाटी द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना टीलामोड़,

कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 498ए/304बी भादवि में जहाँगीर खान पुत्र स्व0 अमीरुल हक निवासी- डी-04 फ्लैट न0- 801 भारत सिटी थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 29.05.2026 को धारा- 304बी भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 498ए भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 15.04.2022 को थाना टीलामोड़ पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री गिर्राज सिंह भाटी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**आरक्षी प्रताप सिंह** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 विपिन सिंह** पैरोकार थाना टीलामोड़